

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 91/प्र030-भवन/जोन-1/2009-10 दिनांक 17/10/2012

### विनियमितीकरण/अनुमति-पत्र

यह विनियमितीकरण/अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 एवं 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर विनियमितीकरण/प्रस्तावित भाग का भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इराका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के नातिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

सचिव, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन स्थल नजूल फ्री होल्ड मूखण्ड संख्या-B(b) बेली मुस्ताखारजा बंगला नं0-25/29 स्टैनली रोड इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण/प्रस्तावित भाग के निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्माता किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पूर्व विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. स्थल पर 4X3 फीट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित किया जायेगा।
5. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. स्थल का अधिभोग/उपभोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही किया जायेगा।
7. स्थल पर 07 वृक्ष लगाने होंगे तथा पृथ्वी को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक/संस्था का होगा।
8. स्थल पर सौर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से करनी होगी।
9. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर गू-गर्म जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. अशमनीय भाग जो मानचित्र पर पीले रंग से दर्शित है को दिये गये शपथ पत्र दिनांक 26.07.2012 के अनुसार सगुणवद् रूप से ध्वस्त कराना होगा।
11. स्थल पर छुआ-छूत सम्बन्धी बीमारी का इलाज निषिद्ध होगा।
12. रोड वाइडनिंग एरिया में कोई भी निर्माण अनुमत्त नहीं होगा, अपितु रोड वाइडनिंग हेतु छोड़ी गयी भूमि पर Existing निर्माण को ध्वस्त कराना होगा।
13. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र दिनांक 10.04.2012 में अंकित प्रतिबन्धों जो मुख्यतः निम्नवत् हैं अक्षरशः पालन करना होगा :-  
A- भवन निर्माण के दौरान नगर निगम की अयस्थापना सुविधाओं की क्षति न हो, अन्यथा इसका नपनिर्माण/मरनात भवन स्वामी को कराना होगा।

प्राप्त दिनांक  
Mr. Mahendra  
17/10/12

9935407299

Continued



